राजस्थान राज्य विद्युत पी.एम.सी.एफ. योजना के अन्तर्गत पेंशनर्स / वृत लेखाधिकारियों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नः–

प्रश्नः 1. Rajasthan Rajya Vidhyut Pensioners Medical Concession Fund Scheme, RCS Medical Attendence Rules,2013 के किन–किन नियमो को समावेशित करके बनाई गई है ?

उत्तरः RCS Medical Attendence Rules, 2013 के नियम संख्या 6,7,8,9(1),10,11,14,17 व 19 का समावेश Rajasthan Rajya Vidhyut Pensioners Medical Concession Fund Scheme मे किया गया है।

प्रश्नः 2. क्या PMCF नवीनीकरण शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है ?

उत्तरः RRVPMCF स्कीम के पैरा कमांक 5 (iii) (a) b(i) के अनुसार जिन सेवानिवृत कर्मचारियों ने स्कीम के अन्तर्गत पंजीकरण करवाते समय प्रचलित नियमो के अनुसार वार्षिक नवीनीकरण शुल्क जमा करवाने का विकल्प लिया था, उन्हे प्रतिवर्ष 31 मई तक नवीनीकरण शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है।

प्रश्नः3 क्या समय पर PMCF नवीनीकरण शुल्क जमा न करवाने की दशा में चूक अवधि के दौरान लिये गए उपचार की राशि का पुनर्भरण देय है ?

उत्तरः RRVPMCF स्कीम के पैरा कमांक 5 (iii) b(ii) के अनुसार प्रतिवर्ष 31 मई तक नवीनीकरण शुल्क जमा न करवा पाने की दशा में चूक अवधि मे लिए गए किसी भी उपचार राशि का पुनर्भरण नियमानुसार देय नही होगा।

प्रश्नः 4 किसी वर्ष अथवा वर्षो तक नवीनीकरण शुल्क जमा न करवाई गई हो तथा सेवानिवृत कर्मचारी वर्तमान में नवीनीकरण शुल्क जमा करवाना चाहे तो उसे कितना नवीनीकरण शुल्क जमा करवाना होगा ?

उत्तरः F&R कमांक 462 दिनाँक 15/12/2007 के अनुसार उपरोक्त वर्णित दशा में वर्तमान नवीनीकरण शुल्क की दुगुनी राशि जमा करवा कर अपनी सदस्यता जारी रख सकता है।

प्रश्नः .5 क्या दिनांक 01.01.2005 से 07.12.2009 की अवधि के मध्य पी.एम.सी.एफ. योजनांतर्गत आजीवन सदस्यता शुल्क जमा कराने का विकल्प उपलब्ध था?

उत्तरः नहीं, आदेश संख्या RVPN/AS/GAD/F&R/F.21/D. 447 Dt. 17.06.2005 (प्रभावी 01.01.2005 से) द्वारा आजीवन सदस्यता शुल्क जमा कराने का विकल्प समाप्त कर दिया गया था।

प्रश्नः 6 जिन पेंशनर्स ने उक्त अवधि में आजीवन सदस्यता शुल्क जमा करवा दिया था, उनके चिकित्सा व्यय पुनर्भरण की क्या व्यवस्था है ?

उत्तरः ऐसे पेंशनर्स को पी.एम.सी.एफ. योजना का आजीवन सदस्य नहीं माना जाएगा, अतः इन्हे इस योजनांतर्गत चिकित्सा व्यय पुनर्भरण का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रश्नः 7 दिनांक 01.01.2005 से 07.12.2009 की अवधि के मध्य आजीवन सदस्यता शुल्क जमा करवा चुके पेंशनर को पी.एम.सी.एफ. योजना के अन्तर्गत चिकित्सा व्यय पुनर्भरण सुविधा प्राप्त करने हेतु क्या करना होगा?

उत्तरः उक्त पेंशनर्स को आदेश संख्या RVPNL/Sr.AO(Pen)/PMCF/D473 Dated: 21.08.2019 के तहत पी.एम.सी.एफ. योजनांतर्गत नवीन पंजीकरण के रूप में लागू दर से सावधि सदस्यता शुल्क (10 वर्ष के लिए) जमा करवानी होगी । ऐसे मामलो में सदस्यता शुल्क जमा करवाने के दिन से चिकित्सा व्यय पुनर्भरण सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा ।

प्रश्नः 8 क्या राज्य के अन्दर गैर–सरकारी अथवा अपंजीकृत चिकित्सालय मे उपचार करवाने की दशा में चिकित्सा व्यय पुनर्भरण योग्य है ?

उत्तरः RRVPMCF स्कीम के पैरा क्रमांक 14 (ii) के अन्तर्गत गैर–सरकारी या अपंजीकृत चिकित्सालय मे उपचार लेने के पश्चात सम्बन्धित चिकित्सा व्यय पुनर्भरण योग्य नही है।

प्रश्नः 9 उपचार समाप्ति के कितने समय के अन्दर चिकित्सा विपत्र पुनर्भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होता है ?

उत्तरः उपचार समाप्ति के 2 दो वर्षो के अन्दर चिकित्सा विपत्र सम्बन्धित कार्यालय मे पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत करना होता है।

प्रश्नः 10 क्या बर्हिरोग उपचार की दशा में प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाईया खरीदने से पूर्व सहकारी उपभोक्ता भण्डार से NAC लेना अनिवार्य है ? तथा NAC प्राप्त करने के कितने समय तक प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाईया क्रय की जा सकती है ?

उत्तरः प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाईयॉ क्रय करने से पूर्व NAC लेना अनिवार्य है। NAC प्राप्त करने के 48 धण्टो के भीतर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाईया क्रय की जा सकती है।

प्रश्नः 11 किसी स्थान (तहसील/गॉव/ब्लॉक स्तर) पर सहकारी उपभोक्ता भण्डार उपलब्ध न होने पर NAC प्राप्त करने की अनिवार्यता की पालना कैसे की जाए ?

उत्तरः इस परिस्थिति मे सम्बन्धित वृत अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वैध लाइसेन्स धारी प्राइवेट मेडिकल स्टोर को निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों को दवा विक्रय करने हेतू अधिकृत किया जाएगा, जिसकी सुचना आवश्यक रूप से सम्बन्धित क्षेत्र के सेवानिवृत निगम कर्मचारियो मे प्रसारित की जावेगी। (आदेश क्रमांक RVPN/SR.A.O.(P)/PMCF/D. 350 Dt: 26.07.2011)

प्रश्नः 12 आपातकाल एवं उपभोक्ता सहकारी भण्डार के बंद होने की स्थिति मे क्या बिना NAC के खरीदी गई दवाईयों का पुनर्भरण संभव है ?

उत्तरः **RCS Medical Attendence Rules,2013** के नियम संख्या 16 के तहत उक्त परिस्थितियों मे रू.1000 तक की दवाईयों के क्रय बिल का पुर्नभुगतान किया जा सकता है।

प्रश्न:13 सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए स्किम के तहत अधिकृत चिकित्सालयो की सूची जन सूचना के उदेश्य से कहॉ उपलब्ध कराई गई है ?

उत्तरः उक्त प्रयोजन हेतू अधिकृत चिकित्सालयो की सूची सभी पावर निगम कार्यालयों में उपलब्ध है। साथ ही त्वरित सूचना हेतू उक्त सूची निगम की वेबसाइट WWW.RVPN.CO.IN पर भी प्रकाशित की जाती है तथा समय–समय पर सूची में आदेशानुसार परिवर्तन भी किया जाता है। यह ध्यान रहे की उक्त सूची में सम्बन्धित चिकित्सालयों की वैधता अवधि स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित की गई है।

प्रश्न:14 PMCF ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए आदेशो को ऑनलाईन किस प्रकार देखा जा सकता है ?

उत्तरः उक्त प्रयोजनार्थ वेबसाइट WWW.RVPN.CO.IN के MENU ——→ ORDERS & CIRCULARS —→Trust (CPF/GPF/PMCF) पर PMCF ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए आदेशो की प्रतिलिपियॉ उपलब्ध करावाई गई है।

प्रश्नः 15 राजस्थान के बाहर स्थित रेफरल अस्पतालों मे इलाज करवाने पर चिकित्सा विपत्रों का पुर्नभुगतान किस प्रकार किया जाएगा ?

उत्तरः इस हेतू **RCS Medical Attendence Rules,2013 के नियम कमांक 10 (1) व 10(2) (परिस्थितिनुसार) के तहत पुर्नभरण किया जाएगा। यहॉ यह स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में उपचार के पश्चात Follow up treatment लेने की संख्या पर कुछ सीमाएं है।**

प्रश्नः 16 क्या आपातकालीन परिस्थितियों मे राज्य के भीतर अथवा बाहर अनाधिकृत चिकित्सालयों मे अतरंग रोग उपचार प्राप्त करने पर चिकित्सा व्यय विपत्रों का पुर्नभुगतान किया जाएगा ?

उत्तरः उपरोक्त परिस्थितियों में **RCS Medical Attendence Rules,2013** के नियम कमांक 11 की पालना की जाएगी। जहॉ यह स्पष्ट है कि प्राणघातक रोगों की घोर आपात स्थिति में या दुर्घटना की स्थिति में राज्य के भीतर या राज्य से बाहर प्राइवेट अमान्यता प्राप्त चिकित्सालय में अतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा परिचर्या और उपचार के मद्दे किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा संदत प्रभारों के लिए परिशिष्ट IX और परिशिष्ट XIII मे विहित सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्राइवेट चिकित्सालयों मे भर्ती रहने की आपात प्रकृति उपचार करने वाले चिकित्सक के प्रमाण–पत्र द्वारा समर्थित व कर्मचारी के शपथ–पत्र द्वारा सिद्ध की जानी है। उन मामलो मे कोई Follow up treatment अनुज्ञात नही किया जाएगा। जिनमें उपचार आपात स्थिति में लिया गया हो।